(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 12/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "लीनियर एल्किल बेंजीन" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 38170011 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/20/2015-डीजीएडी, दिनांक 6 मार्च, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(1) संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पपद का पाटन हो रहा है;

(2) संबद्ध देशों से आयातघरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत ह्रास कर रहे हैं;

(3) बाजार के हिस्से और लाभ प्रदाता के रूप में घरेलू उपयोग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है;

(4) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गगम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जंनवादी गणराज्य	चीन जंनवादी गणराज्य	मै0 जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि0	मै0 होटुंग केमिकल कार्पोरेशन और मसर्ज शार्पिनवेस्ट इंटरनेशनल लि0	23.78	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै0 जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कोर्पोरेशन लि0	मै0 जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कोर्पोरेशन लि0	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न काई अन्य संयोजन		147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जंनवादी गणराज्य	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी	कोई	कोई	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

				शुल्क नहीं लगता है					
5	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोघी शुल्क नहीं लगता है	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	केाई	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै0 सीफ लिमिटेड	मैं0 कतर कैमिकल और पेट्रोकैमिकल मार्केटिंगऔर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यूजेएससी, कतर	46.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै0 सीफ लिमिटेड	मैं0 कतर कैमिकल और पेट्रोकैमिकल मार्केटिंगऔर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यूजेएससी, कतर और मै0 रेनिश एफजेडई (व्यापारी)	46.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	381700 11	लीनियर एल्किल	कतर	कतर	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न काई		300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

		बेंजीन			अन्य संयोजन				
9.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
10.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कतर	कोई	कोई	300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
11.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	ईरान	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
12.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
13.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न	ईरान	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

			कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है						

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/208/2016-टीआरयू भाग-1)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार